

प्रारंभिक परीक्षा

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (Primary Amoebic Meningoencephalitis)

संदर्भ

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ संक्रमण प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस(PAM) के लगातार तीन मामलों का पता चलने के बाद अलर्ट जारी किया है।

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) -

- **इसके बारे में:** यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण है जो **मस्तिष्क और उसकी सुरक्षात्मक झिल्लियों को प्रभावित करता है।**
 - **मृत्यु दर अत्यंत उच्च (95% से अधिक) है।**
 - आमतौर पर यह युवा, सक्रिय व्यक्तियों को प्रभावित करता है।
- **कारण:**
 - यह संक्रमण **नेगलेरिया फाउलेरी** के कारण होता है, जिसे लोकप्रिय रूप से **"दिमाग खाने वाला अमीबा(brain-eating amoeba)"** कहा जाता है।
 - यह गर्म मीठे पानी और मिट्टी में पाया जाता है।
 - यह नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है।
- **अमीबिक एन्सेफलाइटिस के प्रकार:**
 - **PAM:** नेगलेरिया फाउलेरी के कारण होता है। तीव्र शुरुआत, अक्सर कुछ ही दिनों में घातक।
 - **GAE (ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस):** यह बीमारी एकैथअमीबा प्रजाति और बालामुथिया मैडिलारिस के कारण होती है। यह धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह उतनी ही घातक हो सकती है।
- **संचरण:**
 - उथले सतही जल, हॉट टब, स्पा और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल में मौजूद।
 - संक्रमण तब होता है जब दूषित पानी नाक में प्रवेश करता है (गोता लगाने, कूदने या तैरने के दौरान)।
 - अमीबा नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचता है।
- **लक्षण:**
 - **प्रारंभिक:** गले में खराश, सिरदर्द, माथे में दर्द।
 - **बाद में:** मतली, उल्टी, तेज बुखार, मतिभ्रम, भ्रम।
- **उपचार:**
 - प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने और विशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं का शीघ्र प्रशासन मददगार हो सकता है।
 - उपचार के बावजूद, सुधार बहुत दुर्लभ है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

UNHCR

संदर्भ

UNHCR ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन को निलंबित कर दिया है, क्योंकि कई वापस लौटने वाले लोगों को आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीलंका में गिरफ्तार किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) -

- **भूमिका:** विश्व भर में शरणार्थियों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, तथा उनकी स्वैच्छिक वापसी या पुनर्वास में सहायता करना।
- **इतिहास:**
 - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में स्थापित।
 - युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की सहायता के लिए बनाया गया।
- **प्रकृति:** एक वैश्विक मानवीय संस्था जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने तथा संघर्ष या उत्पीड़न के कारण पलायन करने को मजबूर लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **पुरस्कार एवं सम्मान:**
 - UNHCR ने 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
 - UNHCR द्वारा शरणार्थियों, विस्थापितों या राज्यविहीन व्यक्तियों के लिए असाधारण सेवा को सम्मानित करने के लिए नानसेन शरणार्थी पुरस्कार (1954) की शुरुआत की गई।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

रोहिंग्या शरणार्थी -

- **वे कौन हैं?**
 - एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समूह जो मूल रूप से अराकान साम्राज्य (अब रखाइन राज्य, म्यांमार) से है।
 - "रोहंग" शब्द अराकान से निकला है, जबकि गा/ग्या का अर्थ है "से"।
- **सांस्कृतिक पहचान:**
 - म्यांमार के बौद्ध बहुसंख्यकों से अलग।
 - बंगाली बोली बोलते हैं।
- **नागरिकता स्थिति:**
 - म्यांमार ने उन्हें जातीय समूह के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है।
 - 1982 के म्यांमार नागरिकता कानून के तहत नागरिकता रद्द कर दी गई थी।
 - अर्हता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 1823 से पहले म्यांमार में रहते थे।
 - इसके बिना, उन्हें "निवासी विदेशी" या "सहयोगी नागरिक" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही उनके माता-पिता में से एक म्यांमार का नागरिक हो।

स्रोत: [द हिंदू](#)

संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में नामांकन का निर्णय कौन करता है?

संदर्भ

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय के हलफनामे के बाद केंद्र शासित प्रदेश (UT) विधानसभाओं में नामांकन पर बहस फिर से शुरू हो गई है।
 - हलफनामे में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।

नामांकन पर संवैधानिक प्रावधान -

- संसद एवं राज्य विधानमंडल:** संविधान मनोनीत सदस्यों की अनुमति देता है।
 - 2020 में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया।
 - राज्य सभा:** 12 मनोनीत सदस्य (केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)।
 - विधान परिषद:** राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य (मंत्रिस्तरीय सलाह पर)।
- संघ राज्य क्षेत्र:** संसदीय विधियों द्वारा निर्देशित।
 - दिल्ली:** कोई मनोनीत विधायक नहीं (70 निर्वाचित सदस्य)।
 - पुडुचेरी:** संघ सरकार अधिकतम 3 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है (यूटी अधिनियम, 1963)।
 - जम्मू-कश्मीर:** 90 निर्वाचित सीटें; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (संशोधित 2023) के तहत उपराज्यपाल 5 सदस्यों (महिलाओं, प्रवासियों, विस्थापित व्यक्तियों) को मनोनीत कर सकते हैं।

न्यायिक मिसालें -

- पुडुचेरी मामला (2018):** मद्रास उच्च न्यायालय ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना 3 सदस्यों को मनोनीत करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।
 - वैधानिक स्पष्टता की सिफारिश की गई, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघ सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।
- दिल्ली सेवा मामला (2023):** सुप्रीम कोर्ट ने "ट्रिपल चेन ऑफ कमांड" पर प्रकाश डाला:
 - सिविल सेवक → मंत्री
 - मंत्री → विधानमंडल
 - विधानमंडल → लोग
 - यह तर्क मजबूत करता है कि उपराज्यपालों को विधानसभा के मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

स्रोत: [द हिंदू](#)

प्रधानमंत्री जन धन योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के लगभग **23% खाते निष्क्रिय** हैं, यानी **56.03 करोड़ खातों** में से लगभग **13.04 करोड़ खाते** (31 जुलाई 2025 तक) संचालित नहीं हो रहे हैं, जिनमें **उत्तर प्रदेश** में सबसे अधिक निष्क्रिय खाते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) -

- **लॉन्च तिथि:** 28 अगस्त, 2014
- **उद्देश्य:** बैंकिंग, बचत, धनप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन तक किफायती पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन।
- **महत्व:**
 - कई सरकारी आर्थिक योजनाओं की रीढ़।
 - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सुविधा प्रदान करता है।
- **पात्रता:**
 - भारतीय नागरिक होना चाहिए।
 - **आयु:** 18-59 वर्ष।
 - 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग अभिभावक की सहायता से खाता खोल सकते हैं।
- **विशेषताएँ:**
 - **शून्य-शेष खाते (Zero-balance accounts):** कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं।
 - **रुपे डेबिट कार्ड:** दुर्घटना बीमा के साथ आता है।
 - **बीमा कवर:**
 - 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
 - 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा (पहली बार खाता खोलने वालों के लिए)।
 - **ओवरड्राफ्ट सुविधा:** प्रति परिवार ₹10,000 तक।
 - 6 महीने तक खाता गतिविधि संतोषजनक रहने पर अतिरिक्त ₹5,000 का ऋण।

स्रोत: [द हिंदू](#)

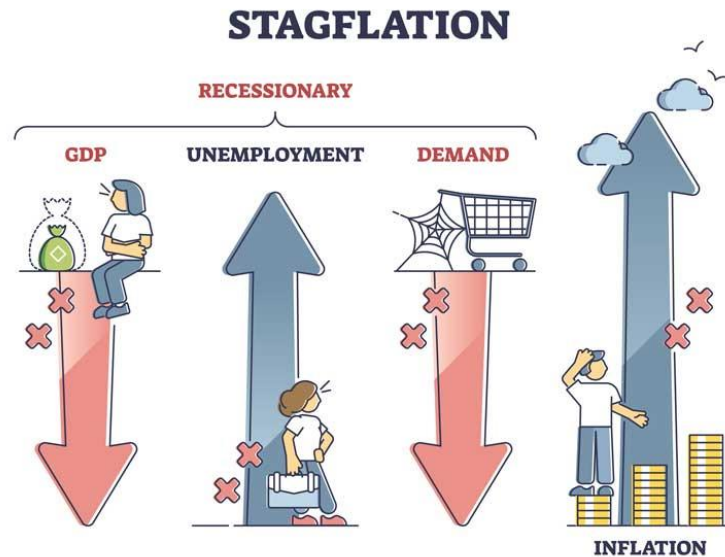
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)

संदर्भ

अमेरिकी मुद्रास्फीतिजनित मंदी का खतरा वैश्विक बाजारों को अस्थिर कर रहा है, जिससे कुछ निवेशक अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि नए टैरिफ के कारण विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मुद्रास्फीति पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी क्या है?

- यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी शामिल है।
- Stagflation शब्द "stagnation" (ठहराव या मंदी) और "inflation" (मुद्रास्फीति) के संयोजन से बना है। यह ऐसी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें आर्थिक ठहराव या मंदी (धीमी या शून्य वृद्धि), मुद्रास्फीति (लगातार बढ़ती महँगाई) और बेरोजगारी—तीनों एक साथ मौजूद रहते हैं।



Related Information

Inflation: It refers to a sustained rise in general level of prices over a period of time in the economy.

Deflation: Refers to a fall in the general level of prices over a period of time. (Negative rate of inflation)

Disinflation: slowing down of rate of inflation

स्रोत: द हिंदू

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों के प्रबंधन) नियम, 2025

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों के प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं।

प्रमुख प्रावधान -

- **दूषित स्थलों की परिभाषा:** ऐतिहासिक रूप से खतरनाक अपशिष्ट डंपिंग के कारण प्रदूषित स्थल, जिससे मृदा, भूजल या सतही जल संदूषित हो जाता है।
 - उदाहरण: पुराने लैंडफिल, रासायनिक अपशिष्ट डंप और रिसाव स्थल।
- **पहचान और रिपोर्टिंग:** जिला प्रशासन को संदिग्ध स्थलों पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
 - 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा, जिसके बाद अगले 90 दिनों में विस्तृत जांच की जाएगी।
 - यदि खतरनाक रसायन (खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत 189 की सूची में से) सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो साइट को औपचारिक रूप से "दूषित" घोषित किया जाता है।
 - ऐसी साइटों के नाम और विवरण सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किए जाने चाहिए; पहुंच पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
- **सुधार योजना:** एक निर्दिष्ट संदर्भ संगठन (विशेषज्ञ निकाय) एक साइट-विशिष्ट सुधार योजना तैयार करेगा।
- **देयता और लागत वसूली:**
 - **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** पहचाने गए प्रदूषक को सफाई लागत वहन करनी होगी।
 - यदि प्रदूषक का पता नहीं चल पाता है या वह भुगतान करने में असमर्थ है तो व्यय केन्द्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
- **आपराधिक दायित्व:** प्रदूषण के कारण किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि या पर्यावरणीय क्षति होने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत दंड लगाया जाएगा।
- **अपवर्जन:** ये नियम निम्नलिखित से होने वाले संदूषण पर लागू नहीं होते:
 - रेडियोधर्मी कचरे
 - खनन कार्य
 - समुद्री तेल प्रदूषण
 - ठोस अपशिष्ट डंप
 - ये अलग, विशिष्ट विधानों द्वारा शासित होते हैं।

स्रोत: द हिंदू

राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH)

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव **पुन्या सलीला श्रीवास्तव** ने हाल ही में **SHRESTH पहल** की शुरुआत की।

इसके बारे में -

- **विकासकर्ता:** केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)।
- **प्रकृति:** राज्य औषधि विनियामक प्रणालियों को मानकीकृत करने और उन्हें मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सूचकांक।
- **लक्ष्य:** पारदर्शी, डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से पूरे भारत में दवा सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
- **उद्देश्य:**
 - राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मानकीकरण करना।
 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के एकसमान कार्यान्वयन को बढ़ावा देना।
 - राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक अध्ययन को सुगम बनाना।
 - मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, निगरानी और जवाबदेही में सुधार लाना।
 - भारत की स्थिति को “दुनिया की फार्मसी” के रूप में और मजबूत करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण:**
 - विनिर्माण राज्य (फार्मा उद्योगों सहित)।
 - मुख्य रूप से वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
 - **सूचक(indicator):**
 - **विनिर्माण राज्य:** 5 विषयों पर 27 सूचक - मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, निगरानी, जवाबदेही।
 - **वितरण राज्य:** 23 सूचक
 - **डेटा रिपोर्टिंग:** राज्य हर महीने की 25 तारीख तक CDSCO को आंकड़े भेजेंगे।
 - अगले महीने की पहली तारीख को अंक संकलित किए जाएंगे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए जाएंगे।
- **सहायक पहल: NSQ** (मानक गुणवत्ता का नहीं) डैशबोर्ड को सभी राज्यों तक विस्तारित किया जाएगा।
 - नियामकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और सेमिनार।
 - औषधि विनियामक प्रणालियों पर प्रस्तावित संगोष्ठी।
 - सामंजस्य के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और लेखा परीक्षा।

स्रोत: [पीआईबी](#)

समाचार में स्थान

नाइजर



समाचार? नाइजर में खोजे गए एक बड़े मंगल ग्रह के उल्कापिंड की न्यूयॉर्क में 3.5 मिलियन डॉलर में नीलामी से उसके स्वामित्व को लेकर वैश्विक बहस छिड़ गई है।

इसके बारे में -

- पश्चिम अफ्रीका में सहारा और उप-सहारा क्षेत्र में फैला एक स्थलरुद्ध देश।
- सीमावर्ती देश:
 - उत्तर: अल्जीरिया और लीबिया
 - पूर्व: चाड
 - दक्षिण: नाइजीरिया और बेनिन
 - पश्चिम: माली और बुर्किना फासो।
- भौगोलिक विशेषताएँ:
 - नाइजर नदी
 - जलवायु: मुख्यतः शुष्क से लेकर अर्द्ध शुष्क।

संबंधित तथ्य:

- नाइजर, माली और बुर्किना फासो के साथ, आधिकारिक तौर पर पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) से हट गया है और उसने अपना स्वयं का गठबंधन, सहेल राज्यों का गठबंधन भी बनाया है।

स्रोत: द हिंदू

संपादकीय सारांश

वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने का मार्ग भारत से होकर गुजरता है

संदर्भ

- द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 (SOFI) के अनुसार, कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 2023 में 688 मिलियन से घटकर 2024 में 673 मिलियन (विश्व की जनसंख्या का 8.2%) हो गई।
 - भारत ने अपने खाद्य सुरक्षा ढांचे में सुधार और डिजिटल नवाचारों का लाभ उठाकर इस प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाई है।

भारत की उपलब्धियाँ -

कुपोषण में कमी: 14.3% (2020-22) से 12% (2022-24)

सरकारी नीतियों के कारण गिरावट -

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013): सब्सिडी वाले अनाज का कानूनी अधिकार।
- पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वास्तविक समय इन्वेंट्री ट्रैकिंग।
 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 800 मिलियन से अधिक लोगों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न मिलता है।
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC): राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की गई, विशेष रूप से प्रवासियों के लिए।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): कोविड-19 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न और बाद में बढ़ाया गया।
- पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) और ICDS: आहार विविधता और पोषण संवेदनशीलता की ओर बदलाव।
- डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म: ई-एनएएम, एग्रीस्टैक, भू-स्थानिक डेटा → खेत से बाजार तक संपर्क में सुधार।

मुद्दे जो अभी भी कायम हैं -

- पोषण संबंधी कमियाँ: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया, मोटापा बढ़ना।
 - उदाहरण के लिए, 60% से अधिक आबादी पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकती।
- कटाई के बाद की हानियाँ: कमजोर शीत श्रृंखला और लॉजिस्टिक के कारण खेत और बाज़ार के बीच लगभग 13% खाद्यान्न नष्ट हो जाता है।
- कृषि संबंधी विषमता: अभी भी अनाज पर ध्यान केंद्रित → दालों, फलों, सब्जियों, पशु प्रोटीन का सीमित उत्पादन।
- जलवायु जोखिम: अनियमित वर्षा, गर्म लहरों और संसाधन तनाव से खाद्य सुरक्षा को खतरा।

आगे की राह – मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है -

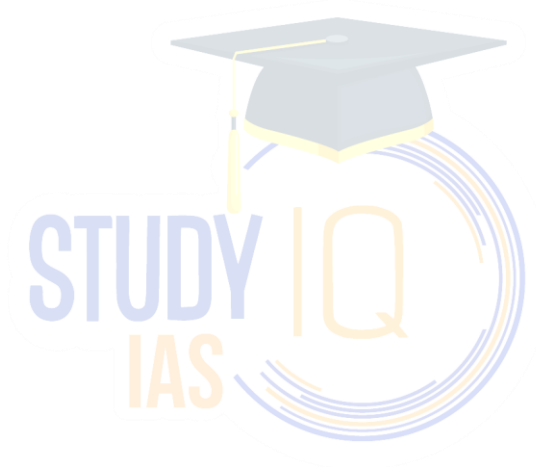
- खाद्य उत्पादन में विविधता लाना: दालों, फलों, सब्जियों और पशु-स्रोत खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करना।
- आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना: खाद्यान्न हानि को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, डिजिटल लॉजिस्टिक्स में निवेश करना।
- किफायती स्वस्थ आहार: पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देना, "फोर्टीफिकेशन" कार्यक्रमों का विस्तार करना।

- **महिला एवं एफपीओ सशक्तिकरण:** महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों और जलवायु-अनुकूल खेती को समर्थन प्रदान करना।
- **पोषण-केन्द्रित योजनाएँ:** कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि नीतियों को एकीकृत करना।
- **डिजिटल लाभ:** बेहतर योजना और वितरण के लिए एग्रीस्टैक, ई-एनएएम और भू-स्थानिक उपकरणों का विस्तार।

निष्कर्ष -

भारत की यात्रा दर्शाती है कि स्मार्ट नीतियों, डिजिटल शासन और समावेशी सुरक्षा तंत्र के माध्यम से भुखमरी को बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। **अगला चरण खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, जिससे न केवल कैलोरी की पर्याप्तता सुनिश्चित हो, बल्कि स्वस्थ, किफायती और टिकाऊ आहार भी सुनिश्चित हो।** भारत की निरंतर प्रगति राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, 2030 तक शून्य भुखमरी (SDG-2) के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्रोत: [द हिंदू](#)



एसएंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया

संदर्भ

- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को **BBB-** से बढ़ाकर **BBB** कर दिया (यह अभी भी निवेश ग्रेड में है, लेकिन एक पायदान ऊपर है)।
 - एसएंडपी द्वारा लगभग दो दशकों में पहली बार सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड (पिछली बार 2007 में)।

क्रेडिट रेटिंग के बारे में -

- क्रेडिट रेटिंग = ऋण योग्यता का माप (ऋण चुकाने की क्षमता)।
- श्रेणियाँ:
 - निवेश ग्रेड: (BBB और उससे ऊपर)।
 - सट्टा ग्रेड: (BB और नीचे)।
- भारत का वर्तमान स्तर: BBB (चुकाने की पर्याप्त क्षमता, लेकिन झटकों के प्रति संवेदनशील)।
- अगला अपग्रेड लक्ष्य: BBB+, फिर A श्रेणी।
- सर्वोच्च रेटिंग (AAA): जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आदि।
- उदाहरण: बढ़ते कर्ज के कारण 2011 में एसएंडपी द्वारा अमेरिका की रेटिंग घटा दी गई (AAA → AA+)।

अपग्रेड के पीछे के कारण -

- राजकोषीय समेकन
 - राजकोषीय घाटा 9.2% (2020-21) से घटाकर 4.4% लक्ष्य (2025-26) तक लाया गया।
 - सरकार ने कर्ज-से-GDP अनुपात को 57.1% (2024-25) से घटाकर 2030-31 तक 49-51% करने की प्रतिबद्धता जताई।
 - पहले की तुलना में बेहतर वित्तीय अनुशासन।
- आर्थिक विकास
 - सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर धीमी होकर 6.5% (2024-25) हो गई, लेकिन फिर भी यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
 - नाममात्र जीडीपी वृद्धि (ऋण स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण) मजबूत बनी हुई है, जिससे समय के साथ ऋण का बोझ कम करने में मदद मिल रही है।
- मुद्रास्फीति प्रबंधन
 - जुलाई 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.55% तक गिर गई (2017 के बाद से सबसे कम)।
 - विश्वसनीय मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मौद्रिक अनुशासन के लिए आरबीआई की प्रशंसा की गई।
 - कम/स्थिर मुद्रास्फीति निवेशकों को आश्वस्त करती है और सामाजिक/आर्थिक अस्थिरता के जोखिम को कम करती है।
- मैक्रो स्थिरता
 - मजबूत बुनियादी बातें: स्थिर विकास, मध्यम बाह्य ऋण, आरामदायक विदेशी मुद्रा भंडार।
 - राजकोषीय रोडमैप पर बेहतर स्पष्टता ने एसएंडपी को भारत की पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में आश्वस्त किया।

उत्तर के निहितार्थ -

- उधार लेने की लागत
 - भारतीय सरकार वैश्विक बाजारों से कम ब्याज दरों पर उधार ले सकती है।
 - कॉर्पोरेट क्षेत्र (विशेषकर जो विदेश से धन जुटाते हैं) को भी लाभ होता है।
- पूंजी प्रवाह

- वैश्विक निधियों के नए पूल तक पहुंच खोलता है।
- संप्रभु धन निधि, पेंशन निधि और संस्थागत निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ेगा।
- **बाजार की धारणा**
 - इस घोषणा के बाद बांड प्रतिफल में पहले ही ~10 आधार अंकों की गिरावट आ चुकी है।
 - विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में मजबूती आई।

निष्कर्ष -

- भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB+ तक उन्नत करना, इसकी व्यापक आर्थिक स्थिरता और विकास की गति में विश्वास को दर्शाता है।
- हालाँकि, इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (2024-25 **BE**) के 5.6% पर बना हुआ है।
- 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, इसलिए पीएम गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, नेट जीरो 2070 प्रतिबद्धता के अनुरूप हरित वित्तपोषण का विस्तार करना और राज्य-स्तरीय राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- मानव पूंजी में निवेश से समावेशी विकास का आधार व्यापक होगा।
- राजकोषीय अनुशासन को संरचनात्मक सुधारों के साथ जोड़कर, भारत "A" श्रेणी की रेटिंग की ओर बढ़ने की आकांक्षा कर सकता है, जिससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

